प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुशीनगर।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन
उ0प्र0लखनऊ।

पत्रांक – एन0एच0एम0 / एम0एण्ड.ई / 2018–19/1630 दिनांक 27 नवम्बर 2018

विषय – वित्तीय बर्ष 2018–19 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या आपके पत्र संख्याः–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0एण्ड.डी0 / 2018–19 / 01 / 8785–2 दिनांक 22.11.2018 के अनुपालन में वित्तीय बर्ष 2018–19 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों की सूची संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय
26/11/2018
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुशीनगर।

पत्रांक – एन0एच0एम0 / एम0एण्डई / 2018–19 तद्दिनांक
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष महोदय जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुशीनगर।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुशीनगर।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन
उ0प्र0लखनऊ।

पत्रांक – एन0एच0एम0/एम0एण्ड.ई/ 2018–19

दिनांक –27 नवम्बर 2018

विषय – वित्तीय बर्ष 2018–19 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या आपके पत्र संख्याः–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एण्ड. डी0/2018–19/01/8785–2 दिनांक 22.11.2018 के अनुपालन में वित्तीय बर्ष 2018–19 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों की सूची संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुशीनगर।

पत्रांक – एन0एच0एम0/एम0एण्डई/ 2018–19 /6307

तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर।

26/11/2018

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कुशीनगर।

मानिटरिंग एण्ड सुपरविजन के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहनों का विवरण

2018–19

कम सं0	सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र का नाम	ट्रेवेल्स एजेन्सी का नाम	वाहन स्वामी का नाम	वाहन सं0	वाहन हायरिंग दिनांक	वाहन का प्रकार	वाहन परमिट संख्या	वाहन परमिट की वैधता	
1	तरयासुजान	मेसर्स परी इन्टप्राईजेज एण्ड ट्रेवेल्स एजेन्सी ,बेलवा मिश्र पकडी रविन्द्र नगर	श्री सनाउल्लास अंसारी	UP 57 AT-1775	16/08/2018	मोटर कैब टैक्सी	UP/53/ATP/2018/149	29/05/2018	28/5/2023
2	दुदही		श्री शिवशंकर	UP 57 AD-5905	16/08/2018	मोटर कैब	UP/53/CC/MOTO/2018/270	05/09/2018	05/08/2023
3	कप्तानगंज		श्री ईश्वरचन्द्र वर्मा	UP 57AT-1898	16/08/2018	मोटर कैब टैक्सी	UP/53AITP/2018/176	18/06/2018	17/06/2023
4	सुकरौली		श्री दिनेश चन्द गुप्ता	UP53ET-5487	16/08/2018	मोटर कैब	UP53AITP/2018/181	21/06/2018	21/06/2023
5	मोतीचक		श्री विजय कुमार जायसवाल	UP57M-5685	16/08/2018	मोटर कैब	UP/53/102/MAXI/2016/94	30-06-2016	29/06/2021
6	कुबेरनाथ		श्री छोटेलाल आजाद	UP57AH-6656	16/08/2018	मोटर कैब	CC/DYS/UP/2018/04771	08/01/2018	31/07/2023
7	हाटा		श्री सतीश कुमार मिश्र	UP32DN-2900	16/08/2018	मोटर कैब	CC/STA/UP/2017/05858	10/09/2017	10/08/2022
8	विशुनपुरा		श्री सतीश कुमार मिश्र	UP 32CK-4400	16/08/2018	मोटर कैब	UP/53/CC/MOTO/2018/258	05/05/2018	05/04/2023
9	खड्डा		श्री सतीश कुमार मिश्र	UP 57Q-4300	16/08/2018	मोटर कैब	CC/STA/UP/2016/03660	08/08/2016	08/07/2021
10	कसया		श्री राजपति देवी	UP57T-5391	16/08/2018	जीप टैक्सी	UP/53/102/MCAB/2013/467	23/07/2013	22/07/2018
11	तमकुही		श्री युधिष्ठिर कुमार गुप्ता	UP57L-1123	16/08/2018	मोटर कैब	CC/STA/UP/2018/04903	07/08/2018	06/08/2023
12	ने0 नौरंगिया		श्री गौतम मिश्रा	UP32FH-0889	16/08/2018	मोटर कैब	CC/STA/UP/2018/00317	17/06/2018	16/06/2023
13	फाजिलनगर		श्री राधेश्याम यादव	UP57V-7864	16/08/2018	मोटर कैब	UP/53/CC/MOTO/2018/389	07/06/2018	07/05/2023
14	रामकोला		श्री उमेश कुमार तिवारी	UP32DN-8894	16/08/2018	मोटर कैब	CC/DYS/UP/2016/04694	17/10/2016	16/10/2021
15	जिला मुख्यालय		श्री राजेन्द्र शरण शुक्ल	UP57AT-1632	25/08/2018	मोटर कैब	UP/53/AITP/2018/120	09/05/2018	08/05/2019

कुशीनगर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

27 FEB 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DX 691624

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संचालित कार्यक्रमो के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एवं चयनित ट्रेवेल्स एजेन्सी के मध्य अनुबन्ध का प्रारुप

अनुबन्ध तिथि–23.07.2018

–:: अनुबन्ध पत्र ::–

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपदीय शाखा जनपद कुशीनगर।

द्वितीय पक्ष

मेसर्स, **मेसर्स, परी इण्टरप्राइजेज एण्ड ट्रेवेल्स** बेलवा मिश्र, पडरौना, कुशीनगर प्रोपराईटर श्री वशिष्ट मिश्रा पुत्र श्री आनन्द मोहन मिश्र बेलवा मिश्र, पडरौना, जनपद–कुशीनगर।

हम दोनो पक्ष निम्न शर्तो के अधीन यह अनुबंध पत्र निष्पादित करते है।

01\. यह अनुबंध जिला स्वास्थ्य समिति जनपद कुशीनगर में और मेसर्स, परी इण्टरप्राइजेज एण्ड ट्रेवेल्स बेलवा मिश्र, पडरौना, कुशीनगर के मध्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमो के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रो एवं जिला मुख्यालय हेतु अनुबन्ध किया जाता है। स्वीकृत दर–30950.00 (रू तीस हजार नौ सौ पचास मात्र) पर दिनांक– 01.05.2018 से दिनांक–31.03.2020 तक के लिए अनुबन्धित किया जाता है।

02\. ट्रेवेल्स एजेन्सी द्वारा दिये गये वाहन का टैक्सी परमिट, विस्तृत बीमा तथा सभी तकनीकी अभिलेख जैसे–फिटनेस, पंजीयन आदि उपलब्ध हो।

03\. सम्बन्धित सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रो एवं जिला मुख्यालय हेतु वाहन प्रातः 09:00 बजे से उसी दिन समय सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

04\. ट्रेवेल्स एजेन्सी आवंटित सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को वाहन चालक का नाम तथा मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायेगे।

05\. सभी वाहन जी0पी0एस0 युक्त होनी चाहिए तथा बिल के साथ जी0पी0एस0 रिपोर्ट व लॉग बुक भी संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

06\. सभी वाहन माह में न्यूनतम 25 दिन तथा 1500 किमी चलायी जायेगी अन्यथा कि स्थिति मे अनुपातिक कटौती की जायेगी।

07. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन संचालन पर होने वाले समस्त व्यव जैसे – ड्राइवर का वेतन, वाहन का ईंधन, वाहन की मरम्मत खर्च , वाहन का टैक्स अन्य किसी प्रकार के खर्च वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा।

08. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में वाहन क्षति अथवा व्यक्ति क्षति अथवा क्षति होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष पर किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा पेश नही करेगा और ना ही मान्य होगा।

09. ट्रेवेल्स एजेन्सी द्वारा अपने देयक के भुगतान हेतु वाहन का लॉग बुक सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रमाणित कराकर सम्बन्धित बिल के साथ मुख्यालय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

10. ट्रेवेल्स एजेन्सी द्वारा किसी भी दशा में वाहन बदली नही जायेगी। विषम परिस्थितियो में(वाहन बिकने अथवा खराब होने, दुर्घटना ग्रस्त होने पर) वाहन बदलने की स्थिति में दूसरी वाहन उपलब्ध करायी जायेगी, जो कमांक–2 पर अंकित अर्हता पूर्ण करती हो।

11. यह अनुबंध इन शर्तो के साथ कि द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषजनक कार्य/ सेवा नही प्रदान करने पर प्रथम पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देते हुए भंग कर दी जायेगी। साथ ही किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का भुगतान कर भंग किया जा सकता है।

12. शेष नियम एवं शर्ते टेन्डर के अनुसार होगी।

दोनो पक्ष की इस अनुबंध पत्र की उपरोक्त शर्ते स्वीकार है तथा पूर्ण विवके से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 23/07/2018

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

वशिष्ट मिश्रा

वशिष्ट मिश्रा पुत्र श्री आनन्द मोहन मिश्र
मे0परी इण्टरप्राइजेज एण्ड ट्रेवेल्स
बेलवा मिश्र, पडरौना, कुशीनगर।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद–कुशीनगर।

26/10/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 276552

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये एजेन्सी एवं सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, कुशीनगर के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र में लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करते हुए नवीन अनुबन्ध पत्र जारी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपदीय शाखा, कुशीनगर एन0एच0एम0, उ0प्र0 एवं चयनित ट्रेवेल एजेन्सी के मध्य अनुबन्ध

—:: अनुबन्ध पत्र ::—

मै मेसर्स, सौरभ ट्रेडर्स एण्ड ट्रेवेल एजेन्सी, रामपुर कारखाना जनपद–देवरिया प्रोपराइटर श्री वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री इन्द्रदेव प्रसाद यादव, ग्राम–राघोपुर पो0–रामपुर कारखाना जनपद–देवरिया .... **प्रथम पक्ष।**

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपदीय शाखा जनपद कुशीनगर...................... **द्वितीय पक्ष।**

हम दोनों पक्ष निम्न शर्तों के अधीन यह अनुबंध पत्र निष्पादित करते हैं।

1. यह अनुबन्ध जिला स्वास्थ्स समिति जनपद – कुशीनगर में और मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स एण्ड ट्रेवेल एजेन्सी, रामपुर कारखाना जनपद–देवरिया के मध्य मानीटरिंग एवं इवोल्यूशन के अंतर्गत जनपद मुख्यालय/सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र से राष्ट्रीय कार्यकमों के पर्यवेक्षण हेतु जिला स्वास्थ्य
2. समिति द्वारा स्वीकृत दर पर दिनांक 03–04–2017 से 31.03.2018 तक के लिए अनुबन्धित किया जाता है।
3. ट्रेवेल एजेन्सी द्वारा दिये गये वाहन का टैक्सी परमिट, विस्तृत बीमा तथा सभी तकनीकी अभिलेख जैस– फिटनेस, पंजीयन आदि उपलब्ध हो।
4. सम्बन्धित अधिकारियों के साथ वाहन उनके निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण करेगी एवं उनको मुख्यालय पर छोड़ने के उपरांत ही वापस जायेगी।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन संचालन पर होने वाले समस्त व्यय जैसे – ड्राईवर का वेतन, वाहन का ईधन, वाहन की मरम्मत खर्च, वाहन का टैक्स अन्य किसी प्रकार के खर्च वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा।
6. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में वाहन क्षति अथवा व्यक्ति क्षति अथवा क्षति होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष पर किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा पेश नही करेगा और ना ही मान्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 276553

7. ट्रेवैल एजेन्सी द्वारा अपनें देयक के भुगतान हेतु वाहन का लागबुक सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रमाणित कराकर सम्बन्धित बिल के साथ मुख्यालय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
8. ट्रेवैल एजेन्सी द्वारा किसी भी दशा में वाहन बदली नहीं जायेगी। विषम परिस्थितियों में (वाहन बिकनें अथवा खराब होनें, दुर्घटना ग्रस्त होनें पर) वाहन बदलनें की स्थिति में दूसरी वाहन उपलब्ध करायी जायेगी, जो कमांक–2 पर अंकित अर्हता पूर्ण करती हो।
9. यह अनुबन्ध किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा भुगतान कर भंग किया जा सकता हैं।

दोनों पक्ष की इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्ते स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक – 28/02/2018

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

कुशीनगर

मुख्य चिकित्साधिकारी

कुशीनगर

प्रथम पक्ष

SAURABH TRADERS AND TRAVELS AGENCY

अनुबन्धित ट्रैवल एजेन्सी